

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
माप तोल विभाग
117-118, सी-ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना

सं.फा. 7(63) एम.डब्ल्यू.एम/2000/304-13 विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित इसकी धारा 2(क्यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बाट एवं माप के नियन्त्रक श्री वी. के. जैन को विधिक माप पद्धति का नियन्त्रक नियुक्त करने हैं।

श्री आर. टी. एल. डीसूजा की नियन्त्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की पूर्व अधिसूचना सं. फा.7(63)/एम.डब्ल्यू.एम/2000/6355-65 दिनांक 01-12-2010 को रद्द करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(धर्मपाल)
सचिव (विधिक माप विज्ञान)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

संख्या फा0 7(63)एम.डब्ल्यू.एम/2000/304-13

दिनांक : 16/5/11

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, खादय सम्भरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली सरकार, "के" ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली -110002।
2. निदेशक (सर्तकता), सर्तकता निदेशालय, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
3. सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. विशेष सचिव (सेवाएं), सेवाएं विभाग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
5. निदेशक, बाट एवं माप विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन दिल्ली।
6. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कोआर्डिनेशन) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, को दो प्रतियाँ असाधारण दिल्ली राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
7. सम्बन्धित न्यायालय।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) खाद्य एवं सम्भरण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
10. संबंधित अधिकारी।
11. गार्ड फाईल।

(धर्मपाल)
सचिव (विधिक माप विज्ञान)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली